बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/ज0गु0 – 1021/2009 237(सा0) पटना – 15 ,दिनांक :– 16/10/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, मुँगेर।

विषय – वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट एवं सौर ऊर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु 36.66 लाख रूपये (छत्तीस लाख छिआसठ हजार रूपये) मात्र का राज्यांश मद से विमुक्ति।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट एवं सौर ऊर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 6/ज0गु0–1021/09 – 22, दिनांक – 06/01/10 द्वारा 9017.40 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें 4508.70 लाख रूपये राज्यांश की राशि है।

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	टेटिया बम्बर	नोनाजी	छाता मोड़	5	चालू ।
2	टेटिया बम्बर	नोनाजी	नोनाजी	7	प्रगति में।
3	टेटिया बम्बर	बनहारा	बनहारा विद्यासागर	1	चालू ।
4	संग्रामपुर	कटियारी	खपरा	13	प्रगति में।
5	संग्रामपुर	कटियारी	पतगहर	4	चालू ।
6	खड़गपुर	गंगटा	मोटितारी	6	चालू ।
7	खड़गपुर	गंगटा	गंगटा मोड़	6	चालू ।

2. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट एवं सौर ऊर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु सामान्य मद से 21.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मद से 15.00 लाख रूपये अर्थात् कुल 36.66 लाख रूपये (छत्तीस लाख छिआसठ हजार रूपये) मात्र को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के राज्यांश मद में जमा राशि से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

14.10.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 237 (आ0)   पटना, दिनांक – 16/10/2017

प्रतिलिपि – सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्लोराईड प्रभावित टोलों में समुचित ट्रीटमेन्ट यूनिट एवं सौर ऊर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राज्यांश मद की हस्तानन्तरित राशि से कार्यपालक अभियन्ता, मुँगेर को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

Sd/- 14.10.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव